केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.सं. 11-Aud0Misc(KWMS)/1/2020/Audit /410-440 दिनाँक:- . 04-10.2024

उपायुक्त/निदेशक,
केंद्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/जीट

विषय : केंद्रीय विद्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों (बाल शिक्षण भत्ता/ यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता/ चिकित्सा / पेंशन लाभ) इत्यादि का समय से भुगतान करने के संबंध में |

महोदया /महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में विभिन्न विद्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों से कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों का समय से भुगतान न होने पर शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं जबकि के वि सं, मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत दावों के भुगतान हेतु समय समय पर पर्याप्त धनराशि जारी की जाती है, इसलिए दावों का लंबित होना या भुगतान न करना स्वीकार्य नहीं है |

यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि के वि सं, ZIET, चंडीगढ़ में आयोजित वित्त अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई एवं सभी वित्त अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले केंद्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों/ सेवानिवृति लाभ को समय से जारी करने हेतु Chandigarh Resolution के रूप में संकल्प भी लिया गया |

सभी लंबित दावों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु अपने कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले सभी केंद्रीय विद्यालयों को समय सीमा में व्यक्तिगत दावों का निपटान करने हेतु चार्टर का निर्माण करने का निर्देश जारी करें एवं दि.31.10.2024 तक सभी लंबित व्यक्तिगत दावों का निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें |

माह नवंबर में लंबित व्यक्तिगत दावों की समीक्षा हेतु मुख्यालय द्वारा एक अदालत का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें व्यक्तिगत दावे लंबित पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से लिया जाएगा |

साथ ही आपके अधीन सभी विद्यालयों को भविष्य में भी प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत दावों को समय से भुगतान करने हेतु निर्देशित करें एवं किसी कार्यालय में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने की स्थिति में इस कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से धनराशि मंगवाना सुनिश्चित करें |

भवदीय,
04-10-24
(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, ईडीपी, के वि सं. (मु.), नई दिल्ली को के वि एस की वैबसाइट के शीर्ष (मु.) "Announcements" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित|

04-10-24
संयुक्त आयुक्त (वित्त)